रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938
No. 617] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 853(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (5), (6) और (7) के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 में नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"3क "यह प्राधिकरण निरंतर उत्तराधिकार और सम्मिलित मुहर के साथ उक्त के नाम से एक कारपोरेट निकाय होगा जिसे अधिनियम के उपाबंधों के अधीन संपत्ति, जंगम और स्थावर दोनों प्राप्त करने, धारित और विक्रय करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से वाद करेगा या चलाएगा।"

[फा. सं. 05/27/2013-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 26(अ) द्वारा 13 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

G.S.R. 853(E).—In exercise of the powers conferred by section 469 read with sub-sections (5), (6) and (7) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

"3A. "The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.".

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 26(E), dated the 13th January, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.08 11:18:38 +05'30'